भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 292
दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

आश्रय घर/विधवा आश्रय घर

*292. श्री विजय बघेलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में आश्रय घरों/विधवा आश्रय घरों की स्थापना करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत, जारी की गई तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

*****

'आश्रय घर/विधवा आश्रय घर' विषय पर श्री विजय बघेल द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : यह मंत्रालय दो पूर्ववर्ती स्कीमों, अर्थात 'स्वाधार' और 'अल्पावास गृह' का विलय करके 01.01.2016 से स्वाधार गृह स्कीम क्रियान्वित कर रहा है, जो पूरे देश में लागू है । स्वाधार गृह स्कीम के अंतर्गत मुख्यरूप से विधवाएं तथा सामाजिक और आर्थिक सहायता से वंचित कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाएं आती हैं, जैसे परित्यक्त महिलाएं तथा प्राकृतिक आपदाओं में जीवित बची बेघर महिलाएं, अवैध मानव व्यापार की शिकार महिलाएं/लड़कियां, आतंकी हिंसा की शिकार महिलाएं, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं/लड़कियां, जिन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं है तथा एचआईवी/एड्स से ग्रस्त ऐसी महिलाएं, जिन्हें परिवार द्वारा त्याग दिया गया है । इन महिलाओं को पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि वे गरिमा से अपना जीवन चला सकें । इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी महिलाओं के समाज में भावात्मक और आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के साथ-साथ उन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े तथा स्वास्थ्य सेवाएं और उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना परिकल्पित है । छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में स्वाधार गृहों की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-। में दी गई है ।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने विधवाओं को रहने का एक सुरक्षित और संरक्षित स्थान उपलब्ध कराने, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, पोषक आहार, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए वृंदावन, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश में 1000 संवासिनों के लिए 'कृष्ण कुटीर' नामक एक विधवा गृह का निर्माण किया है ।

(ग) : विगत दो वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान स्वाधार गृह स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत, निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है ।

*****

अनुलग्नक-I

'आश्रय घर/विधवा आश्रय घर' विषय पर श्री विजय बघेल द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

स्वाधार गृहों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वाधार गृहों की संख्या (आज तक)
1	आंध्र प्रदेश	29
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	16
4	पंजाब	2
5	छत्तीसगढ़	3
6	गुजरात	4
7	जम्मू और कश्मीर	3
8	झारखंड	3
9	कर्नाटक	51
10	केरल	7
11	मध्य प्रदेश	16
12	महाराष्ट्र	50
13	मणिपुर	23
14	मिजोरम	11
15	मेघालय	2
16	नागालैंड	2
17	ओडिशा	55
18	राजस्थान	6
19	सिक्किम	1
20	तमिलनाडु	35
21	तेलंगाना	19
22	त्रिपुरा	4
23	उत्तर प्रदेश	13
24	उत्तराखंड	4
25	पश्चिम बंगाल	48
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	1
27	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1
28	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	2
29	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1
	कुल	413

अनुलग्नक-II

'आश्रय घर/विधवा आश्रय घर' विषय पर श्री विजय बघेल द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

विगत दो वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान स्वाधार गृह स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत, निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18 के दौरान राज्य सरकार को स्वीकृत/निर्मुक्त राशि	2017-18 के दौरान राज्य द्वारा प्रयुक्त राशि	2018-19 के दौरान राज्य सरकार को स्वीकृत/निर्मुक्त राशि	2018-19 के दौरान राज्य द्वारा प्रयुक्त राशि	2019-20 के दौरान (आज तक) राज्य सरकार को स्वीकृत/निर्मुक्त राशि	2019-20 के दौरान (आज तक) राज्य द्वारा प्रयुक्त राशि
1.	आंध्र प्रदेश	140.63	-	-	-	49.07	-
2.	असम	194.71	194.71	152.60	-	104.68	-
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप	9.01	7.76	7.27		7.27	-
4.	अरुणाचल प्रदेश	8.11	8.11	18.05	-	6.54	-
5.	बिहार	86.54	0	0	-	0	-
6.	चंडीगढ़	9.01	7.70	6.64	-	7.99	-
7.	छत्तीसगढ़	16.22	16.22	30.25	-	13.08	-
8.	दिल्ली	18.02	15.81	16.10	-	18.38	-
9.	गुजरात	37.86	37.86	0	-	18.31	-
10.	गोवा	5.40	-	0	-	0	-
11.	हरियाणा	9.77	9.77	3.39	-	0	-
12.	झारखंड	16.22	-	0	-	0	-
13.	जम्मू और कश्मीर	32.45	32.45	36.20	36.20	38.87	-
14.	कर्नाटक	505.99	505.99	274.35	-	229.45	-
15.	केरल	43.27	43.27	69.59	-	32.26	-
16.	मध्य प्रदेश	32.45	25.79	46.09	-	151.64	-
17.	महाराष्ट्र	411.07	-	0	-	0	-
18.	मिजोरम	16.22	16.22	81.09	-	71.97	-
19.	मणिपुर	186.61	186.61	424.30	-	150.48	-
20.	मेघालय	8.72	-	0		0	-
21.	नागालैंड	8.11	8.11	25.69	-	13.08	-
22.	ओडिशा	463.24	395.21	456.79	-	286.73	-
23.	पंजाब	10.82	2.34	8.00	-	9.58	-
24.	पुडुचेरी	9.01	9.01	20.06	-	7.99	-
25.	राजस्थान	75.73	14.44	0	-	27.46	-
26.	सिक्किम	8.11	8.11	6.72	6.72	10.63	-
27.	तमिलनाडु	216.36	196.05	409.75	-	160.15	-
28.	तेलंगाना	124.40	87.24	116.09	116.09	0	-
29.	त्रिपुरा	32.45	32.45	46.23	-	26.17	-
30.	उत्तर प्रदेश	430.60	-	0	-	0	-
31.	उत्तराखंड	73.02	27.00	0	-	0	-
32.	पश्चिम बंगाल	430.29	-	0	-	0	-
	कुल	3670.42	1888.23	2255.25	159.01	1441.78	